न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–9, जयपुर महानगर–द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : : **सोनल शुक्ला (आर.जे.एस.)**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : **214 / 2025**

सी.आई.एस. नम्बर : **2541 / 2025**

ताराचन्द्र सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी, उम्र – 45 साल, निवासी– वार्ड नम्बर 4, सरस्वती स्कूल के पास लोसल, पुलिस थाना लोसल, जिला सीकर हाल किरायेदार फ्लेट नम्बर जे–2–14, एल0आई0सी फ्लेट सेक्टर नम्बर 2, विद्याधर नगर, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जिला जयपुर।

——प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, जयपुर।

——अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 276 / 2025 पुलिस थाना विश्वकर्मा, जयपुर पश्चिम अपराध अन्तर्गत धारा 316(4), 318(4) बी.एन.एस.

उपस्थित :

1. **श्री गजेन्द्र माली,** विद्वान् अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी / अभियुक्त
2. **श्री सुरेश कुमावत,** विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य

<u>आदेश</u> **दिनांक : 03.10.2025**

1. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अधीन माननीय सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय के समक्ष पेश किया, जो वास्ते सुनवाई एवं विधिअनुसार निस्तारण इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई तथा केस डायरी तलब की गई।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 25.08.2025 को परिवादी श्री राम चंद्र यादव ने ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अभियुक्त ताराचंद सैनी मई वर्ष 2023 सीकेएस हॉस्पिटल में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। जिसका मोबाईल नंबर 7791974652 है जो कि वर्तमान में अस्पताल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रोजमर्रा के कार्य के अलावा हॉस्पिटल की (CKS Life Care OPD Pharmacy) का नकद राशि इकट्ठा करके उसका हिसाब बनाता था तथा हिसाब मिलान करने के बाद में अस्पताल के अन्य कर्मचारी श्री मनीष पारीक को अस्पताल के बैंक खाते में जमा करने के लिए देता था। दिनांक 24.02.2025 से अभियुक्त ताराचंद सैनी बिना सूचना के अस्पताल से अनुपस्थित चल रहा है। इस दौरान

अस्पताल के अन्य कर्मचारी श्री महेश कुमावत एवं योगेश सैनी ने अस्पताल की नकद राशि को बैंक में जमा कराने के लिए नकद राशि का मिलान किया तो पाया गया कि श्री ताराचंद सैनी ने दिनांक 16 व 17 फरवरी का नकद संग्रहण राशि को बैंक खाते में जमा नहीं करवाया। इसके बाद अप्रैल 2024 से हिसाब का मिलान करने पर पाया गया कि श्री ताराचंद सैनी विभिन्न दिनांक को अस्पताल की (CKS Life Care OPD Pharmacy) की नकद राशि में से 22,16,951/– रूपये की राशि बैंक खाते में जमा नहीं करायी गयी। अभियुक्त ताराचंद सैनी द्वारा अपने नियोजन के दौरान पदीय स्थिति पर नयस्त होते हुए आपराधिक न्यासभंग कर हॉस्पिटल की नकद राशि का बेईमानी से दुर्विनियोग कर धोखाधड़ी कारित करते हुये हॉस्पिटल की नकद राशि में से 22,16,951/– रूपये को गबन कर लिया तथा हॉस्पिटल के अकाउण्ट शाखा से संबंधित दस्तावेज भी चुरा कर ले गया और अस्पताल को सदोष हानि कारित कर स्वयं ने सदोष लाभ प्राप्त कर लिया। आदि पर मुकदमा नम्बर– 276/2025 अन्तर्गत धारा– 314, 316(2), 317(2), 318(4) बी.एन.एस. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–03, जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. के तहत पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 20–09–2025 को खारिज फरमा दिया गया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है।

3. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त 2023 से सीकेएस अस्पताल में सीनियर अकाउण्टेड के पद पर कार्यरत था, जो अकाउण्टस डिपार्टमेंट में रोजमर्रा के कार्य के अलावा हॉस्पिटल की नकद राशि अन्य व्यक्तियों के द्वारा विभागों में जमा करवायी गयी को लाकर देता थे। प्रार्थी द्वारा उक्त नकद राशि को न तो अपने पास रखता था और ना ही स्वयं बैंक में जमा करवाता था, उक्त राशि मनीष के द्वारा बैंक में जमा करवाकर जमा रसीद शिकायतकर्ता को दी जाती थी। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा उक्त राशि जो एफआईआर में बतायी गयी है दिनांक 19.05.2024 से दिनांक 02.03.2025 तक जो राशि बतायी गई है, जिसमें प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं था। शिकायतकर्ता व उच्च अधिकारी उक्त गबन राशि स्वयं गबन कर एक न्यून वेतनभोगी कर्मचारी के ऊपर आरोप लगाया जाना गलत व तथ्यहीन है। प्रकरण में विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सभ्य नागरिक है तथा परिवार में प्रार्थी के अलावा अन्य कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है और परिवार की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी के ऊपर ही निर्भर है, ऐसे में प्रार्थी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके सामाजिक प्रतिष्ठता पर विपरित असर पड़ेगा तथा परिवार व समाज में बदनामी होगी। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त वर्णित दर्ज पते का निवासी है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत आवेदन पत्र

खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों द्वारा बहस में दिये गये तर्कों के प्रकाश में केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध 22,16,951 / – रूपये का गबन करने के मामले में धारा 316(4), 318(4) भारतीय न्याय संहिता का आरोप प्रमाणित माना है। केस डायरी में सीकेएस अस्पताल की बैंक खाते की डिटेल भी संलग्न है। प्रार्थी / अभियुक्त के कब्जे से गबन राशि 9,500 / – रूपये भी बरामद किया जाना जाहिर आता है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकार्ड केस डायरी में संलग्न नहीं है। परंतु पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इस स्तर पर अभियुक्त की मिथ्या संलिप्तता की उपधारणा नहीं की जा सकती। वर्तमान में समाज में धोखाधड़ी संबंधी घटनाओं की निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना अपराध की गम्भीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. खारिज किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

7. अतः प्रार्थी / अभियुक्त ताराचन्द्र सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी, उम्र – 45 साल, निवासी– वार्ड नम्बर 4, सरस्वती स्कूल के पास लोसल, पुलिस थाना लोसल, जिला सीकर हाल किरायेदार फ्लेट नम्बर जे–2–14, एल0आई0सी फ्लेट सेक्टर नम्बर 2, विद्याधर नगर, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जिला जयपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा0ना0सु0सं0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सोनल शुक्ला)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–9,
जयपुर महानगर–द्वितीय

8. आदेश दिनांक **03.10.2025** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनल शुक्ला)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–9,
जयपुर महानगर–द्वितीय